6.10 X 18.29
37
SHOP CUM RESIDENTIAL PLOTS
9.14 X 19.11 A.V
SR1
SR2
SR3
SR4
SR5
SR6
SR7
SR8
6.10 X 18.29
SHOP CUM RESIDENTIAL PLOTS
9.14 X 16.83 A.V
SR10
SR11
SR12
SR13
SR14
SR15
SR16
21
9.14 X 16.83 A.V
20
136
137
237
236
332
333

6.10 X 18.29
37
SHOP CUM RESIDENTIAL PLOTS
9.14 X 19.11 A.V
SR3
SR4
SR5
SR6
SR7
SR8
237
SHOP CUM RESIDENTIAL PLOTS
9.14 X 16.83 A.V
SR10
SR11
SR12
SR13
SR14

88
50
156
157

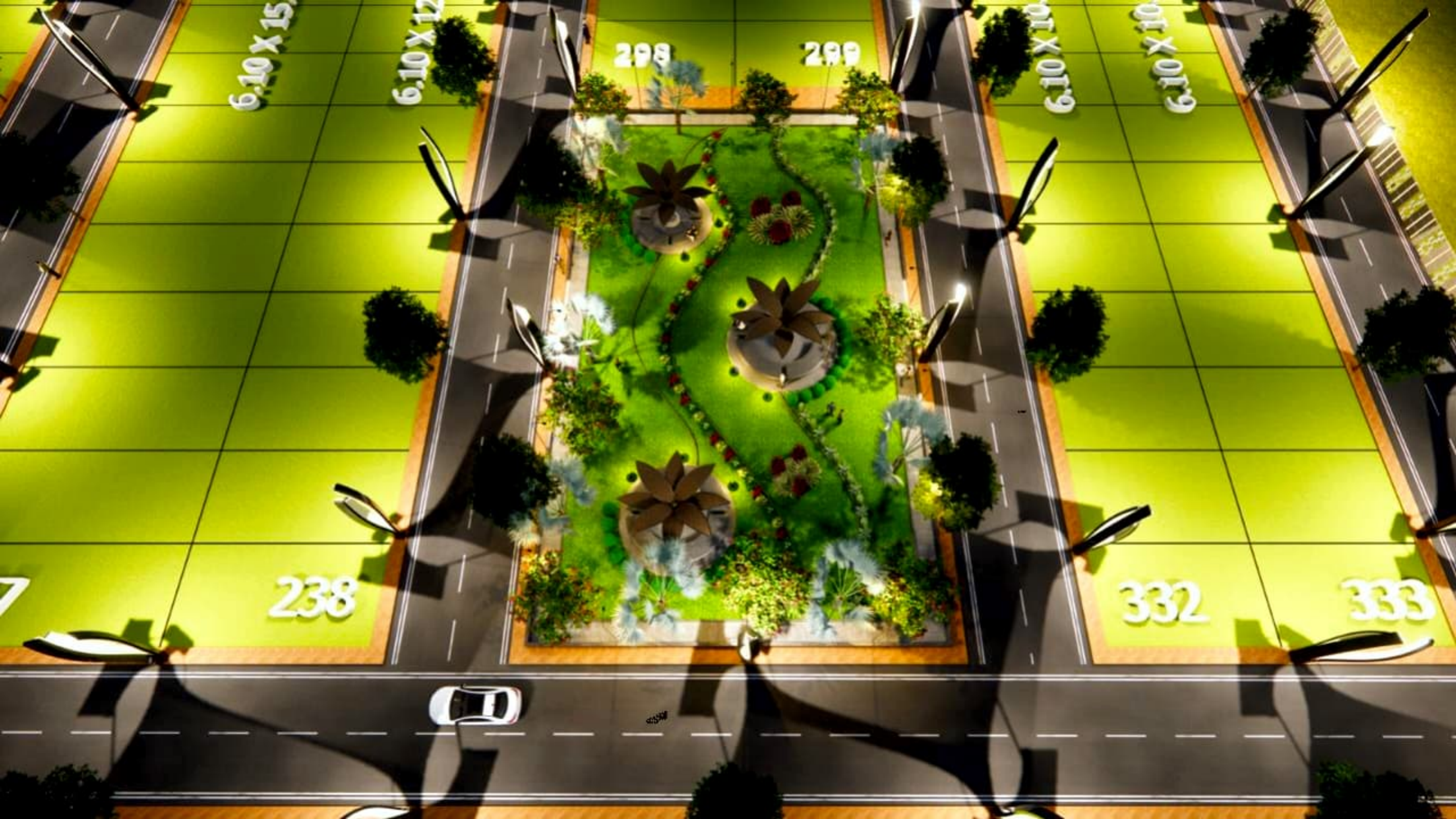
298
299
238
332
333

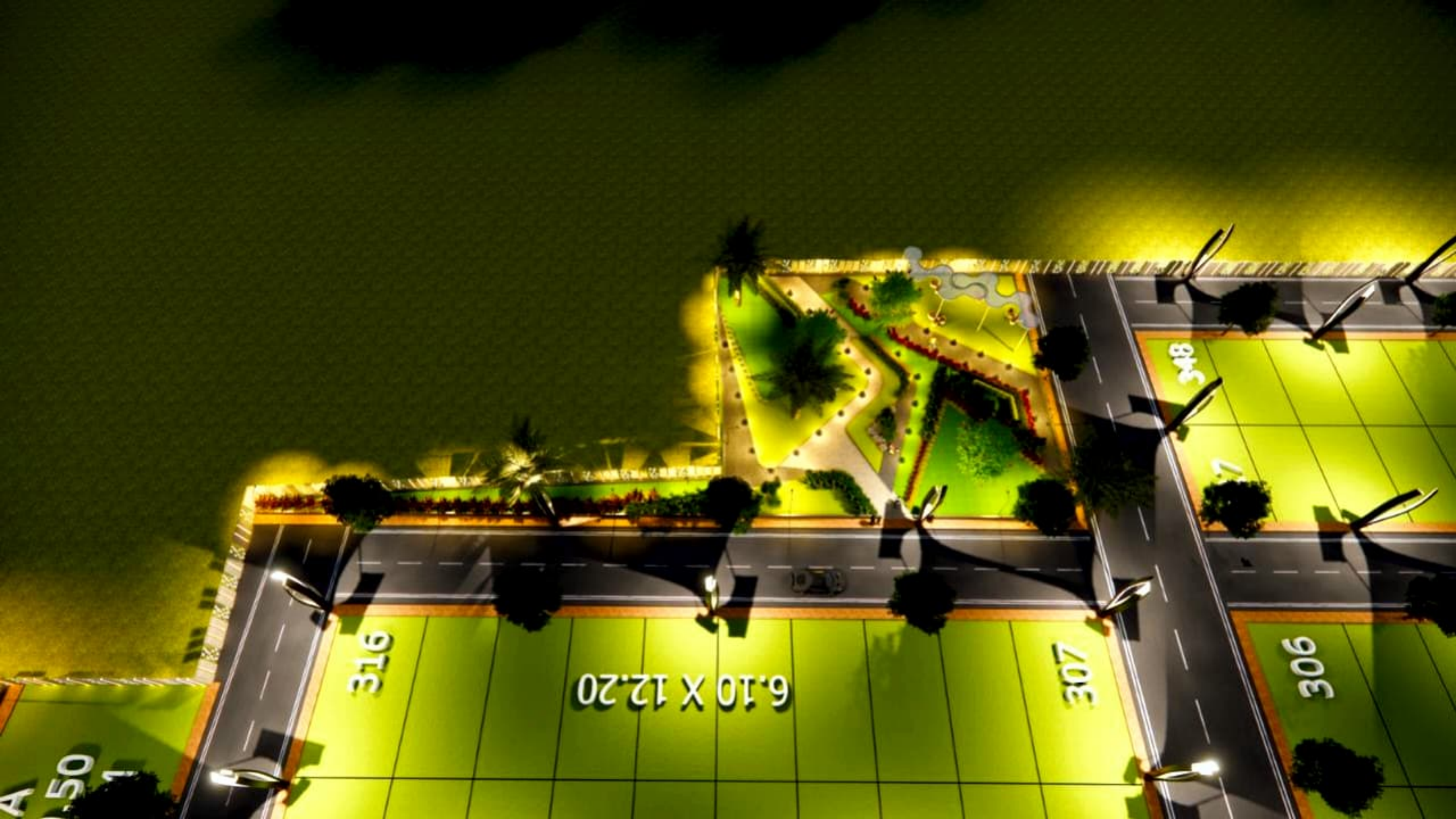

348
316
6.10 X 12.20
307
306

6.10 X 15.24
6.10 X 12.20
315
248
SA
180.50
SQM

6.10 X 12.20
124
5.19 X 12.20
115
189
6.10 X 15.24
196
206
6.10 X 15.24
205
6.10 X 15.24
197
6.10 X 12.20
269
270
5.19 X 12.20
281
280.50
SQ.M
S.A
280.50
SQ.M
316

5.19 X 12.41 AV
3.74 X 10.67
EWS PLOTS
6.10 X 12.20
6.10 X 15.24
97
124
221
173
172
141
66
96
81
65

S.A
280.50
SQ.M
6.10 X 15.24
5.19 X 12.20
197

6.10 X 12.20 M
6.10 X 12.20
50
49
156

6.40 X 13.73
EWS PLOTS
E24
96
81
66
65
5.19 X 12.41 AV

6.10 X 18.29
37
49
157
156
50
68
88
6.10 X 15.24
6.10 X 12.20
6.10 X 12.20

Madhya Pradesh
Real Estate
Regulatory Authority

मध्यप्रदेश
भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष -0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email Id:- secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप-ग, नियम 6 (1) एवं 6 (2)

भू-संपदा परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा-5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिए दिया जा रहा है

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश Madhya Pradesh ★ REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

पंजीयन क्रमांक: **P-OTH-25-5999**
परियोजना का नाम: *SHASHWAT GREEN*

परियोजना का पता: *KHASRA NO. 26/1, 26/2, 26/3 & 31 AT VILLAGE BADODIYA EMA, TEHSIL SANWER, DISTRICT INDORE (M.P)*

तहसील: *SAWER* जिला: *INDORE* राज्य: *MADHYA PRADESH*

1. फर्म/सोसाईटी/कंपनी/ सक्षम प्राधिकारी की दशा में: *RIDDHI SIDDHI INFRA*

2. सह-सम्प्रवर्तक:

3. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है:-

i. संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्नक-A में प्रविहित किया गया है।

ii. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।

iii. संप्रवर्तक अधिनियम की धारा- 4(2)(L)(D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।

iv. परियोजना प्रारंभ दिनांक **23-Jun-2025** तथा पूर्णता दिनांक **22-Jun-2028** तक की होगी, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-6 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियामक और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार विस्तारित न कर दिया जावे।

v. संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।

vi. संप्रवर्तक, जिस क्षेत्रों में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

4. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरूद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।

दिनांक:
स्थान: भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

SHASHWAT GREEN